"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2016 — कार्तिक 2, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-108/सात-1/2012. — छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) की धारा 3 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4802-एफ-1-4-94-सात-2ए, दिनांक 02-12-1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 3 के खण्ड (3) के सरल क्रमांक 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"4. प्रभारी मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग,"

No. F-108/Seven-1/2012.— In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 3 of the Chhattisgarh Ceiling on Agricultural Holding Act, 1960 (No. 20 of 1960), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 4802-F-1-4-94-Seven-2A, dated 02-12-1994, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

for serial number 4 of clause (3) of para 3, the following shall be substituted, namely :-

"4. Minister-in-charge, Housing and Environment Department,"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.